रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2016/ज्येष्ठ 17, 1938
No. 394] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2016/JYAISTHA 17, 1938

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

सा.का.नि. 578(अ).— ी ं र ा र, खान और खनिज (विकां ं और विनियंमन) अधिनियंम, 1957 (1957 का 67) ी धारा 4 ी उपधारा (1) े दूं रे परतुक े अनुसंरण में, े ी य खान नियोजन और डिजाइन स्थान लिमिटेड ो उक्तं अधिनि म ी धारा 4 ी उपधारा (1) े दूं रे परतुक े प्र ोजनों े लिए अधिंूचित करती है:

परतु े ीं खान नियोजन और डिजाइन स्थान लिमिटेड राज ं र ा र ो , उसं े द्वारा ी गई पूर्वेक्षण क्रियांओं े बंध में उसकें द्वारा ृजित डाटा ीं पेगा ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसकें प्र ा शन ी तारीख ो प्रवृत्तं होगी ।

[फा. सं. 16/08/2015-एम.6(भाग-1)]

ुधा ं र शुक्ला, आर्थिं ल ाहकारं

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2016

G.S.R. 578(E).—In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the Central Mine Planning and Design Institute Limited for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act:

Provided that Central Mine Planning and Design Institute Limited shall make over the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.16/08/2015-M.VI (Pt.1)]

SUDHAKER SHUKLA, Economic Advisor

2890 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/ आषाढ़ 15, 1937
No. 431] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ ASHADHA 15, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई , 2015

सा.का. नि. 538(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(i) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड;

(ii) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड;

(iii) एनएमडीसी लिमिटेड;

(iv) केआईओसीएल लिमिटेड;

(v) एमओआईएल लिमिटेड;

(vi) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड; और

(vii) मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड।

2. यह अधिसूचना इस शत के अधीन होगी कि पूर्वेक्षण काय द्वारा सृजित डाटा राज्य सरकार को दे दिया जाएगा।

3. यह अधिसूचना : (i) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड; (ii) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; (iii) एनएमडीसी लिमिटेड; (iv) केआईओसीएल लिमिटेड; और (v) एमओआईएल लिमिटेड के संबंध म 16 फरवरी, 2015 से लागू होगी, तथा (i) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ; और (ii) मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के संबध म राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 16/08/2015-खान-VI]

निरंजन के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2015

G.S.R. 538(E).— In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Central Government hereby notifies the following entities for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, namely:–

(i) Rashtriya Ispat Nigam Limited;
(ii) Steel Authority of India Limited;
(iii) NMDC Limited;
(iv) KIOCL Limited;
(v) MOIL Limited;
(vi) Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited; and
(vii) Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited.

2. This notification shall be subject to the condition that the data generated by the prospecting operations be made over to the State Government.

3. This notification shall come into force with effect from 16th February, 2015 with respect to: (i) Rashtriya Ispat Nigam Limited; (ii) Steel Authority of India Limited; (iii) NMDC Limited; (iv) KIOCL Limited; and (v) MOIL Limited, and shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette with respect to: (i) Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited; and (ii) Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited.

[F. No.16/08/2015-M.VI]

NIRANJAN K. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.